

राज्यों और विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण

TRANSFER OF RESOURCES TO STATES AND UNION TERRITORIES WITH LEGISLATURE

(₹ करोड़) (In ₹ crore)


| | | 2021-2022 वास्तविक Actuals | 2022-2023 संशोधित अनुमान Revised Estimates | 2023-2024 बजट अनुमान Budget Estimates |
|--|---|--------------------------------------|--|---|
| I. करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण * | I. Devolution of States share in taxes * | 898392 | 948406 | 1021448 |
| II. अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें | II. Some Important Items of Transfer | 202808 | 125177 | 183613 |
| 1. एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता | 1. Assistance to States from NDRF | 7671 | 6400 | 10928 |
| 2. जीएसटी मुआवजा में हुई कमी के बदले राज्यों को बैंक टू बैंक ऋण | 2. Back to Back Loans to States in lieu of GST Compensation Shortfall | 147866 | 0 | 0 |
| 3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए केंद्रीय पूल संसाधन | 3. Central Pool of Resources for North Eastern Region and Sikkim | 513 | 0 | 0 |
| 4. बाह्य सहायता वाली परियोजनाएं-अनुदान | 4. Externally Added Projects - Grants | 3866 | 5300 | 4900 |
| 5. बाह्य सहायता वाली परियोजनाएं-ऋण | 5. Externally Aided Projects-Loan | 23083 | 29580 | 24550 |
| 6. उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं | 6. Schemes of North East Council | 152 | 23 | 28 |
| 7. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत योजनाएं | 7. Schemes under Provision to Article 275(1) of the Constitution | 923 | 725 | 1207 |
| 8. पूंजी व्यय हेतु राज्यों को लोन के रूप में विशेष सहायता | 8. Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure | 14186 | 76000 | 130000 |
| 9. मांग के तहत विशेष सहायता - राज्यों को अन्तरण | 9. Special Assistance under the demand - Transfers to States | 3766 | 6000 | 12000 |
| 10. मांग के तहत जनजाति क्षेत्र को विशेष केंद्रीय सहायता - जनजातीय कार्य मंत्रालय | 10. Special Central Assistance to Tribal Area under the Demand - Ministry of Tribal Affairs | 782 | 1150 | 0 |
| III. वित्त आयोग के अनुदान | III. Finance Commission Grants | 207435 | 173257 | 165480 |
| 1. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान- शहरी निकाय | 1. Grant for local bodies - Urban Bodies | 16147 | 15026 | 24222 |
| 2. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान- ग्रामीण निकाय | 2. Grant for local bodies - Rural Bodies | 40312 | 41000 | 47018 |
| 3. स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान | 3. Grants for Health Sector | 12252 | 8895 | 13851 |
| 4. नए शहरों के इन्क्यूबेशन हेतु अनुदान | 4. Grants for Incubation of new Cities | 0 | 0 | 4000 |
| 5. साझा मुनिसिपल सेवाओं के लिए अनुदान | 5. Grants for shared Municipal Services | 0 | 0 | 250 |
| 6. एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान | 6. Grants-in-Aid for SDRF | 17747 | 18635 | 19573 |
| 7. राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता अनुदान | 7. Grants-in-Aid for State Disaster Mitigation Fund | 2525 | 3500 | 4893 |
| 8. अवमूल्यन के पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान | 8. Post Devolution Revenue Deficit Grants | 118452 | 86201 | 51673 |
| IV. राज्यों को कुल अंतरण [(I)+(II)+(III) के इतर] | IV. Total Transfer to States [Other than (I)+(II)+(III)] | 345847 | 395334 | 426996 |
| 1. केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) | 1. Under Centrally Sponsored Schemes (Revenue) | 334581 | 346992 | 364270 |
| 2. केन्द्र क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) | 2. Under Central Sector Schemes (Revenue) | 9994 | 46687 | 60942 |
| 3. व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व) | 3. Under Other Categories of Expenditure (Revenue) | 1270 | 1552 | 1681 |
| 4. पूंजी अंतरण | 4. Capital Transfers | 1.90 | 102 | 103 |
| V. विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण | V. Total Transfer to UTs with Legislature | 51128 | 68654 | 65337 |
| 1. केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) | 1. Under Centrally Sponsored Schemes (Revenue) | 5706 | 8516 | 10772 |
| 2. केन्द्र क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत (राजस्व) | 2. Under Central Sector Schemes (Revenue) | 365 | 176 | 198 |
| 3. व्यय की अन्य श्रेणियों के अंतर्गत (राजस्व) | 3. Under Other Categories of Expenditure (Revenue) | 45056 | 59962 | 54367 |
| 4. पूंजी अंतरण | 4. Capital Transfers | 0 | 0 | 0 |
| राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण | Total Transfer to States/UTs | 1705610 | 1710828 | 1862874 |

* आंकड़े अनंतिम हैं और इनमें केंद्र तथा राज्य सरकारों को देय राशि अथवा इन से वसूली योग्य किसी बकाया की दृष्टि से परिवर्तन हो सकता है।

* The figures are provisional and may change in view of any outstanding dues payable to or recoverable from the Union and State Governments.

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अन्तरण TOTAL TRANSFERS TO STATES AND UTs

(₹ lakh crore)



राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण की संरचना COMPOSITION OF TRANSFERS TO STATES AND UTs

(₹ lakh crore)

